FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) .... मुकाम ....

दुलाराम वगै. बनाम अर्जुनराम वगै.

किस्म मुकदमा 111/128 LRAct नं. 352/2020 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.11.20	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत सिंह ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 128, 111, LRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14.12.20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO)	
14.12.21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील मय तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/03/21 को पेश हो। [initials]	
30/03/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] होने से मिसल इल्तवा [illegible] दिनांक 20/04/21 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:41 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म

20/04/21 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनु० श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/2021 को पेश हो।

24/06/21 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनु० श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/11/21 को पेश हो।

11/11/21 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनु० श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/11/2021 को पेश हो।

30/11/21 पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत-कोसरिया में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनुपस्थित / प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेत लगते-लगते आये हुए हैं प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ व कोट आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं, जिससे प्रार्थी को अपने खेत के [illegible] सही ज्ञात नहीं हो पा रहा [illegible] व विपक्षीगणों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मध्य खेत के सेडों को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेडों का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइशबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थर पैमाइशबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1370 दिनांकः– 30/11/21

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. तुलछाराम पुत्र शैम्भूराम वगैरा 23 जाति जाट, निवासी खोखसर पूर्व पटवार मण्डल खोखसर तहसील गिड़ा (बाड़मेर)		1. गंगाराम पुत्र विशनाराम वगैरा 48 जाति जाट, निवासी खोखसर पूर्व पटवार मण्डल खोखसर तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 352 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा –खोखर पुर्व, पटवार मण्डल – खोखर, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1415, 1416, 1417, 1419, 1711 / 1418 रकबा क्रमशः 0.15, 0.09, 0.12, 2.05, 268 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1371-75 दिनांकः– 30/11/21

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का खोखर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री तुलछाराम पुत्र शैम्भूराम वगैरा 23
4. विप्रार्थी श्री गंगाराम पुत्र विशनाराम वगैरा 48
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(SDO) बायतु